क्रम-संख्या--245

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 22 मार्च, 1984

चैत्र 2, 1906 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग

संख्या 617/सत्रह-वि0-1-1-(क)-1-1984

लखनऊ, 22 मार्च, 1984

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1984 पर दिनांक 21 मार्च, 1984 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1984 ई० के रूप में सर्वसाधारण की सूचना हेतु इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1984

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1984)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश जल-सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975, संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम 1916, उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959, उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 और उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1978 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1984 कहा जायगा।

(2) धारा 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 और 10 बारह दिसम्बर, 1983 को प्रवृत्त हुई समझी जायेंगी, धारा 11, 12 और 13 छब्बीस दिसम्बर, 1983 को प्रवृत्त हुई समझी जायेंगी, धारा 7 1 फरवरी, 1984 को प्रवृत्त हुई समझी जायगी और शेष धारायें तुरन्त प्रवृत्त होंगी।

अध्याय–दो

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 43 सन् 1975 की धारा 4 का संशोधन

2––उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में,––

(एक) उपधारा (2) में, खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :––

"(घ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, प्रभारी जल सम्भरण विभाग, पदेन ;

(घघ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, नियोजन विभाग पदेन"

(दो) उपधारा (4) में, शब्द "खंड (ग) या खंड (घ)" के स्थान पर शब्द "खण्ड (ग), खण्ड (घ) या खण्ड (घघ)" रख दिये जायेंगे।

धारा 20 का संशोधन

3––मूल अधिनियम की धारा 20 में, उपधारा (3) में, खण्ड (ग) में शब्द "जिसे राज्य सरकार के अनुमोदन से निगम द्वारा नियुक्त किया जायगा" के स्थान पर शब्द "जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायगा" रख दिये जायेंगे।

धारा 27 का प्रतिस्थापन

4––मूल अधिनियम की धारा 27 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्––

"27 (1) जल संस्थान राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, अधिकारियों और अन्य पदों का सृजन और कर्मचारियों की नियुक्ति कर्मचारियों से ऐसे पदों का और ऐसे पदनामों के साथ सृजन कर सकता है जिसे वह अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण संपादन के लिये आवश्यक समझे।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति जल संस्थान द्वारा ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जायगी जिसे वह उचित समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे पदों पर जिसे राज्य सरकार धारा 27-क के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा या सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, नियुक्ति और ऐसे पदों पर नियुक्ति के निबन्धन और शर्तों का अवधारण सरकार के अनुमोदन से किया जायगा।

(3) अध्यक्ष के सामान्य नियंत्रण और निदेशों के अधीन रहते हुए, जल संस्थान के समस्त कर्मचारियों का पर्यवेक्षण और उन पर नियंत्रण महाप्रबन्धक में निहित होगा।"

धारा 27-क का बढ़ाया जाना

5––मूल अधिनियम में, धारा 27 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्––

"27-क (1) सेवाओं का केन्द्रीयकरण। धारा 27 या अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी भी समय ऐसे अधिकारियों और सेवकों की जिन्हें राज्य सरकार उपयुक्त समझे, एक या अधिक ऐसी सेवायें सृजित करने के लिये नियमों द्वारा व्यवस्था कर सकती है जो राज्य में जल संस्थान या जल संस्थानों, नगर महापालिकाओं और नगर पालिकाओं के लिये सामान्य हो, और किसी ऐसी सेवा में भर्ती करने की रीति और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तें विहित कर सकती हैं।

(2) जहां ऐसी किसी सेवा का सृजन किया जाय, वहां सेवा में सम्मिलित पदों पर कार्यरत कर्मचारियों और उन पदों के कर्तव्यों और कृत्यों का पालन करने वाले अधिकारियों और सेवकों को, यदि उपयुक्त पाये जायं, अनन्तिम या अन्तिम रूप से सेवा में आमेलित किया जा सकता है, और अन्य की सेवायें विहित रीति से समाप्त की जायगी।

(3) ऐसी सेवा के सृजन पर स्थानीय निकाय निदेशक के लिये या सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के लिये किसी जल संस्थान या जलकल में किसी पद पर कार्यरत किसी कर्मचारी को किसी अन्य जल संस्थान या जलकल को स्थानान्तरित करना विधि पूर्ण होगा।

(4) उपधारा (1) और (2) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में उक्त उपधाराओं में निर्दिष्ट किन्हीं विषयों के सम्बन्ध में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के लिये भी व्यवस्था की जा सकती है।"

धारा 38 का संशोधन

6––मूल अधिनियम की धारा 38 में,––

(क) उपधारा (1) में, शब्द और अंक "जिसके अन्तर्गत" और "यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 की धारा 69-बी" के बीच शब्द और अंक" इस अधिनियम की धारा 27-क", बढ़ा दिये जायेंगे,

(ख) उपधारा (9) में,--

(एक) शब्द "यू0 पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट" के पहले शब्द और अंक "इस अधिनियम की धारा 27-क" बढ़ा दिये जायेंगे,

(दो) शब्द "व्यवस्थिति, ऐसे जल संस्थान या निगम में जिसको कि निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश के किसी आदेश द्वारा तत्समय उसकी सेवायें प्रदान की जायं, प्रतिनियुक्ति पर सेवा करने के लिये आबद्ध होगा" के स्थान पर शब्द "ऐसे जल संस्थान या निगम में जिसको कि स्थानीय निकाय निदेशक, उत्तर प्रदेश के किसी आदेश द्वारा तत्समय उसकी सेवाएं प्रदान या स्थानान्तरित की जायं, सेवा करने के लिये आबद्ध होगा" रख दिये जायेंगे ।

धारा 56 का संशोधन

7--मूल अधिनियम की धारा 56 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुन: संख्यांकित किया जायगा और इस प्रकार पुन: संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड और उपधारा (2) बढ़ा दी जायगी, अर्थात्--

"प्रतिबन्ध यह है कि खण्ड (क) के अन्तर्गत आने वाले मामले में, जहां ऐसा भू-गृहादि एक से अधिक अध्यासियों को किराये पर दिया जाय या किसी अन्य पर्याप्त कारण से अध्यासी से कर की वसूली समीचीन न पाई जाय, वहां जल संस्थान, अपने विकल्प पर कर का उद्ग्रहण अध्यासी से करने के बजाय स्वामी से कर सकती है ।

(2) ऐसा कोई स्वामी जिससे उपधारा (1) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन कर का उद्ग्रहण किया जाय, किसी प्रतिकूल संविदा के न होने पर, उसे अध्यासी से वसूल कर सकता है ।"

धारा 72 का संशोधन

8--मूल अधिनियम की धारा 72 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड (ज) बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्--

"(ज) यदि उपभोक्ता जल संस्थान को अपने जल संयोजन में मीटर लगाने की अनुमति नहीं देता है या मीटर देने के लिये प्रतिभूति जमा करने से इन्कार करता है ।"

अध्याय-तीन

संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 का संशोधन

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 की धारा 69-बी का संशोधन

9--संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 69-बी में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्--

"(1) धारा 57, 59, 65 से 68, 69, 69-क, 71, 74, 79 और 80 में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी भी समय ऐसे अधिकारियों और सेवकों की जिन्हें वह उपयुक्त समझे, एक या अधिक ऐसी सेवाएँ सृजित करने के लिये नियमों द्वारा व्यवस्था कर सकती है जो राज्य में सभी या कुछ नगरपालिका बोर्डों के लिये या नगरपालिका बोर्डों, महापालिकाओं और जल संस्थानों के लिये सामान्य हो, और किसी ऐसी सेवा में भर्ती करने की रीति और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तें विहित कर सकती है ।"

अध्याय-चार

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959 की धारा 112-क का संशोधन

10--उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 112-क में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्--

"(1) धारा 106 से 110 में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार किसी भी समय ऐसे पदाधिकारियों और सेवकों की जिन्हें वह उपयुक्त समझे, एक या अधिक ऐसी सेवायें सृजित करने के लिये नियमों द्वारा व्यवस्था कर सकती है, जो राज्य की महापालिकाओं के लिये या महापालिकाओं, नगरपालिका बोर्डों और जल संस्थानों के लिये सामान्य हों, और किसी ऐसी सेवा में भर्ती करने की रीति और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तें विहित कर सकती हैं ।"

अध्याय-पांच

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1977 की धारा 2 का संशोधन

11--उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, जहां-जहां भी शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1983" आये हों, उनके स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1984" रख दिये जायेंगे ।

धारा 3 का संशोधन

12—मूल अधिनियम की धारा 3 में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1983" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1984" रख दिये जायेंगे।

अध्याय—छ:

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1978 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 1978 की धारा 24 का संशोधन

13—उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 24 में शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1983" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1984" रख दिये जायेंगे।

अध्याय—सात

प्रकीर्ण

निरसन और अपवाद

14—(1) उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1983 और उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1983 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथा संशोधित अध्याय दो तीन चार पांच और छः में निर्दिष्ट किन्हीं अधिनियमों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों क अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थ।

आज्ञा से,
गंगा बख्श सिंह,
सचिव।

No. 617(2)/XVII-V—1—1(KA)1-1984
Dated Lucknow, March 22, 1984

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Swayatta Shasan Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 1984 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 5 of 1984) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 21, 1984.

THE UTTAR PRADESH LOCAL SELF-GOVERNMENT LAWS (AMENDMENT) ACT, 1984

[U. P. Act No 5 of 1984]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975, the U. P. Municipalities Act, 1916, the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, the Uttar Pradesh Municipalities, the Notified Areas and Town Areas (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1977, and the Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Third Amendment) Act, 1978.

It is hereby enacted in the Thirty-fifth Year of the Republic of India as follows :

CHAPTER I

PRELIMINARY

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Local Self-Government Laws (Amendment) Act, 1984.

(2) Sections 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 and 10 shall be deemed to have come into force on December 12, 1983, sections 11, 12 and 13 shall be deemed to have come into force on December 26, 1983, section 7 shall be deemed to have come into force on February 1, 1984 and the rest of the section shall come into force at once.

CHAPTER II

AMENDMENT OF THE UTTAR PRADESH WATER SUPPLY AND SEWERAGE ACT, 1975

Amendment of section 4 of U.P. Act no. 43 of 1975.

2. In section 4 of the Uttar Pradesh Water Supply and Sewerage Act, 1975, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act,—

(i) in sub-section (2), *for* clause (*d*), the following clauses shall be *substituted*, namely :—

"(*d*) the Secretary to the State Government in-charge of the Water Supply Department, *ex-officio* ;

(*dd*) the Secretary to the State Government in the Planning Department, *ex officio* ;"

(ii) in sub-section (4), *for* the words "in clause (*c*) or clause(*d*)" the words "in clauses (*c*), (*d*) or clause (*dd*)," shall be *substituted*.

Amendment of section 20.

3. In section 20 of the principal Act, in sub-section (3), in clause (*c*), *for* the words "to be appointed by the Nigam with the approval of the State Government," the words "to be appointed by the State Government" shall be *substituted*.

Substitution of section 27.

4. *For* section 27 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :—

"27 (1) The Jal Sansthan may, with the previous approval of the State Government, create such posts of officers and other employees and with such designations as it considers necessary for the efficient performance of its functions.

Creation of posts and appointment of employees.

(2) The appointments to the posts, referred to in sub-section(1), shall be made by the Jal Sansthan on such terms and conditions as it thinks fit :

Provided that the appointment on such posts as the State Government may, by rules framed under section 27-A or by general or special order, specify shall be made and the terms and conditions of appointment on such posts shall be determined with the approval of the Government.

(3) Subject to general control and directions of the Chairman, the supervision and control over all employees of the Jal Sansthan shall be vested in the General Manager."

Insertion of section 27-A.

5. In the principal Act, *after* section 27, the following section shall be *inserted*, namely :—

"27-A. (1) Notwithstanding anything contained in section 27 or in any other provision of the Act, the State Government may at any time, by rules, provide for the creation of one or more services of such officers and servants as the State Government may deem fit common to Jal Sansthans or to the Jal Sansthans, Nagar Mahapalikas and Nagarpalikas in the State and prescribe the method of recruitment and conditions of service of persons appointed to any such service.

Centralisation of services.

(2) Where any such service is created, employee serving on the posts included in the service as well as officers and servants performing duties and functions of those posts may, if found suitable, be absorbed in the service, provisionally or finally, and the service of others shall be determined in the prescribed manner.

(3) On the creation of such service it shall be lawful for the Director of Local Bodies or any other officer authorised by the Government in this behalf to transfer an employee serving on any post in any Jal Sansthan or Waterworks to any other Jal Sansthan or Waterworks.

(4) Without prejudice to the generality of the provisions of sub-sections (1) and (2), such rules may also provide for consultation with the State Public Service Commission in respect of any of the matters referred to in the said sub-sections.

Amendment of section 38.

6. In section 38 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1), *between* the words and figure "service created under" and "section 69-B" the words "section 27-A of this Act" shall be *inserted*,

(*b*) in sub-section (9)—

(i) *between* the words and figure "contained in" and "section 69-B", the words and figure "section 27-A of this Act", shall be *inserted* ;

(ii) *for* the words " to serve on deputation with such Jal Sansthan or the Nigam, as the case may be, to which his services are for the time being lent" the words "to serve with such Jal Sansthan or the Nigam to which his services are for the time being lent or transferred" shall be *substituted.*

Amendment of section 56.

7. (1) Section 56 of the principal Act shall be renumbered as sub-section (1) and, *after* sub-section (1), as so renumbered, the following proviso and sub-section (2) shall be *inserted*, namely :

"Provided that, in the case covered by clause (*a*), where such premises is let to more occupiers than one or for any other sufficient reason recovery of tax from the occupier is found to be inexpedient, the Jal Sansthan may, at its option, levy the tax from the owner instead of from the occupier".

(2) A owner from whom tax is levied under the proviso to sub-section (1) may, in the absence of contract to the contrary, recover it from the occupier'.

Amendment of section 72.

8. *After* clause (*g*) of sub-section (1) of section 72 of the principal Act' the following clause (*h*) shall be *inserted*, namely :—

"(*h*) if the consumer does not allow the Jal Sansthan to install meter on his water connection or refuses to deposit security for the supply of meter."

CHAPTER III

AMENDMENT OF U. P. MUNICIPALITIES ACT, 1916

Amendment of section 69-B of the U.P. Act II of 1916.

9. In section 69-B of the U P. Municipalities Act, 1916, *for* sub-section (1) the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

"(1) Notwithstanding anything contained in sections 57, 59, 65 to 68, 69, 69-A, 71, 74, 79 and 80, the State Government may at any time, by rules provide for the creation of one or more services of such officers and servants as the State Government may deem fit, common to all or some Municipal Boards or to the Municipal Boards, Mahapalikas and the Jal Sansthans in the State and prescribe the methods of recruitment and conditions of service of persons appointed to any such service."

CHAPTER IV

AMENDMENT OF U. P. NAGAR MAHAPALIKA ADHINIYAM, 1959

Amendment of section 112-A of the U.P. Act II of 1959.

10. In section 112-A of the U.P. Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, *for* sub-section (1), the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

"(1) Notwithstanding anything contained in sections 106 to 110, the State Government may at any time, by rules provide for the creation of one or more services of such officers and servants as the State Government may deem fit, common to the Mahapalikas or to the Mahapalikas, Municipal Boards and Jal Sansthans of the State, and prescribe, the method of recruitment and conditions of service of persons appointed to any such Service."

CHAPTER V

AMENDMENT OF THE UTTAR PRADESH MUNICIPALITIES, NOTIFIED AREAS AND TOWN AREAS (ALPAKALIK VYAVASTHA) ADHINIYAM, 1977

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 13 of 1977.

11. In section 2 of the Uttar Pradesh Municipalities, Notified Areas and Town Areas (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1977, herinafter in this Chapter referred to as the principal Act, *for* the word and figures "December 31, 1983" wherever occurring, the word and figures "December 31,1984", shall be *substituted.*

12. In section 3 of the principal Act, *for* the word and figures "December 31, 1983" the word and figures "December 31, 1984" shall be *substituted*. Amendment of section 3.

CHAPTER VI

AMENDMENT OF THE UTTAR PRADESH URBAN LOCAL SELF-GOVERNMENT LAWS (THIRD AMENDMENT) ACT, 1978

13. In section 24 of the Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Third Amendment) Act, 1978, *for* the word and figures "December 31, 1983", the word and figures "December 31, 1984" shall be *substituted*. Amendment of section 24 of U. P. Act no. 35 of 1978.

CHAPTER VII

Miscellaneous

14. (1) The Uttar Pradesh Local Self-Government Laws (Amendment) Ordinance, 1983 and the Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Third Amendment) Ordinance, 1983, are hereby repealed. Repeal and savings.

[U.]P. Ordi[na]nce no.47 [of] 1983 U.P. [Or]dinance [no.] 48 of 1983

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under any of the Acts, referred to in Chapters II, III, IV, V and VI, as amended by the Ordinances referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the said Acts as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
G. B. SINGH,
Sachiv.

०एस०यू०पी०--ए० पी० 425 सा० (विधा०)--(4384)--1984--750 (मेक०)।